न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/54/2019	2019/00141	17/09/2019	28.11.2022

1. हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लि0(एच.डी.एफ.सी.) कार्यालय रेमन हाउस, एच. टी. पारेख मार्गण 169, बैकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट मुम्बई 400020 एवं शाखा कार्यालय एच. डी.एफ.सी. लि0 सी–25 भगवन्त दास रोड़ सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी–स्कीम जयपुर (राजस्थान)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री हर्षवर्धन बरोला पुत्र श्री शशती दत्त बरोला, सी–412, चतुर्थ तल, काल्का रॉयल रेजीडेन्सी, ब्लॉक–सी, अलवर बाई पास रोड़, भिवाड़ी जिला अलवर–301019 (राजस्थान)
अन्यपते:–

:– मकान नं0 1, विकास विहार कॉलोनी, सेक्टर–3, विकास नगर, लखनऊ, उत्तरप्रदेश 226022

:– मकान नं0 143/7बी, शीतला एन्क्लेव, सेक्टर–5 के सामने, गुडगांव, हरियाणा–122001

:– एजीलेन्ट टेक्नॉलोजीस आई.एन.टी.एल. प्रा0 लि0 सी.पी. 11, सेक्टर–8, आई.एम.टी. मानेसर गुडगांव, हरियाणा–122051

–अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 08.11.2012 को 15,21,308/–रूपये (Rupees Twenty Two Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 30.04.2019 तक Total Aggregating Loan Amount Rs. 19,15,885/– (Rupees d Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति ***"श्री हर्ष वर्धन बरोला पुत्र श्री शशती दत्त बरोला की सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं0 सी.–412, चतुर्थ तल, काल्का रॉयल रेजीडेन्सी, ब्लॉक–सी, खसरा नं0 231, गांव–थाडा, अलवर बाई पास रोड़, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 820 वर्गफीट (सुपर बिल्ट अप) है।"*** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27.05.2019 के द्वारा नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त ***"श्री हर्ष वर्धन बरोला पुत्र श्री शशती दत्त बरोला की सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं0 सी.–412, चतुर्थ तल, काल्का रॉयल रेजीडेन्सी, ब्लॉक–सी, खसरा नं0 231,***

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)

गांव–थाडा, अलवर बाई पास रोड़, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 820 वर्गफीट (सुपर बिल्ट अप) है।" को दिनांक 31.07.2017 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकड़ा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोरसमेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
अलवर (राज०)